

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A No. 324 of 2015

&

O.A. No. 85 of 2016

IN THE MATTER OF:-

JUBAIR & ORS.

VS.

APPLICANT

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

RESPONDENTS

AND

IRFAN ALEEM

VS.

APPLICANT

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD. & ORS.

RESPONDENTS

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
01.	JOINT INSPECTION REPORT OF M/s MEEM AGRO FOODS PVT. LTD. IN COMPLIANCE OF HON'BLE NGT ORDER DATED 03.05.2019.	
02.	ANNEXURE-I CONSENTED PRODUCTION CAPACITY OF PRESENT SLAUGHTERING FROZEN MEATS.	
03.	ANNEXURE-II DAILY SUMMARY OF POST MORTEM EXAMINATION OF ANIMALS.	
04.	ANNEXURE-III FRESHWATER SOURCE & CONSUMPTION (kl/day).	
05.	ANNEXURE-IV APPLICATION FOR PERMISSION TO ABSTRACT GROUND WATER FOR INDUSTRIAL USE.	
06.	ANNEXURE-V DETAILS OF ETP WITH PHOTOGRAPHS.	
07.	ANNEXURE-VI PHOTOGRAPHS TAKEN DURING THE INSPECTION.	
08.	ANNEXURE-VII HON'BLE NGT ORDER DATED 03.05.2019.	



AJAY AGGARWAL
SCIENTIST-E
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD,
PARIVESH BHAWAN, EAST ARJUN NAGAR,
DELHI-110032.

DATE: 31.10.2019

PLACE: DELHI

Joint inspection of M/s Meem Agro Food Pvt. Ltd., Kandhla Road, Kairana, Distt. Shamli, U.P.

Background

In compliance to the Hon'ble NGT (PB) order dated 03.05.2019 in O.A. No. 324/2015 (184/2016 & 467/2016 with O.A. No. 85/2016, M.A. No. 436/2016, I.A. No. 240/2019 & 241/2019) in the matter of Jubair&OrsVs. State of Uttar Pradesh &Ors. and Irfan Ali Vs. Meem Agro Foods. Pvt. Ltd. &Ors., a joint inspection of M/s Meem Agro Food Pvt. Ltd., Kandhla Road, Kairana, Distt. Shamli, U.P. (referred as 'the Unit') was carried out on 22.08.2019 by Shri, Y.N. Mishra, Scientist 'C', CPCB, Delhi, Shri, D.C. Pandey, ASO, UPPCB and Shri, Vipul Kumar, JE, UPPCB.

Details about the Unit i.e. M/s Meem Agro Food Pvt. Ltd

The unit has infrastructure for production of frozen boneless buffalo meat, poultry feed supplement (PFS), tallow and blood meal. UPPCB has granted Consent for slaughtering of 300 big animals (buffalos) per day and frozen meat production of 36 MT/day. All the processes were found in operation. It was observed that slaughtering of only big animals is being carried out. The details of the unit are as follow:

General Information		
1.	Raw material	Live Buffaloes
2.	Consented	Frozen Meat : 36 MT / day
3.	Products/Byproducts	Meat Bone Meal (MBM) - 4 MT / day Tallow : 15 MT / day
4.	Present Slaughtering Frozen Meats	Consented Production capacity - 300 buffalo/ day, however on the day of inspection, slaughtering of approx. 132 buffaloes were going on. As per records, the unit was not in operation from 12.08.2019 to 17.08.2019, due to festival of Id-Uz-Zuha (Annexure-1 & 2).
Information pertaining to water consumption, wastewater generation and others		
5.	Freshwater source & consumption (kl/day)	Source - Supply through Water Tankers As per records maintained by the unit, the consumption details are as follows: Average consumption of water - 150 KLD/day which includes 1.0 KLD for domestic purposes (Annexure-3).
6.	Bore wells	Bore wells: 1 No. (Sealed by UPPCB)
7.	Status of CGWA permission for extraction of ground water	The unit has applied on 06.05.2019 for NOC to get permission from CGWA for ground water extraction(Annexure-4).
8.	Consented wastewater discharges	Industrial - 300 KLD Domestic - 2 KLD

Vipul *DS* *Shri Y.N. Mishra*
24/10/19

9.	Treated waste water discharge	The Unit has provided Digital Flow Meter at ETP outlet to measure effluent flow. At the time of inspection the flow meter was showing 6.57 KL/H (158 KL/D) reading for the treated effluent. However, the unit has not maintained any logbook/details for the same.
10.	ETP details(Annexure-5):	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Designed capacity of ETP - 500 KLD, adequacy report provided by the Department of Civil Engineering, IIT, Roorkee. ✓ ETP is comprised of primary treatment and secondary treatment followed by common tertiary treatment. ✓ Primary treatment includes Screen Chamber, Oil & Grease traps, Equalization Tank and DAF (Dissolved Air Flootation). ✓ Secondary treatment is biological treatment based on Sequential Bio Reactor (SBR) and ✓ Tertiary treatment includes Multi Grade Filter (MGF) & ACF. ✓ Domestic wastewater is treated through septic tank cum soak pit.
11.	Hide storage area	Separate area is provided for storage / preservation of hides.
12.	Mode of Effluent disposal	Treated effluent is discharged into its own land for irrigation (approx.20 acres) through underground pipeline of about 2.5 km away from the unit.
13.	Status of Consent under the Water (P&C of Pollution) Act, 1974.	Consent is granted by UPPCB which is valid upto 31.12.2019.
14.	Status of OCEMS	The Unit has installed OCEMS for all the requisite parameters i.e. pH, TSS, BOD, COD and flow. At the time of inspection the reading were pH (8.98), TSS (87.5), BOD (27.3), COD (194.4) and flow (6.57), respectively.
15.	Odour Control	Unit has provided bio filters to suppress the odour from rendering plant
Information pertaining to Air Pollution		
16.	Source of Air Pollution, details of fuel and status of APCDs	<p>The Unit has one boiler with capacity 6.0 TPH.</p> <p>Wood (4T /day) and ingesta are used as fuel in the boiler.</p> <p>Boiler is equipped with Air Pollution Control Devices (APCDs) i.e. multi-cyclone and the flue gases after treatment are released through chimneystack of height 30mts.</p> <p>The Unit has 2 nos. of DG sets (600 KVA + 600 KVA) equipped with acoustic enclosures and HSD @ 50 lit/hour is used as fuel.</p>
17.	Status of Consent under the Air (P&C of Pollution) Act, 1981	Consent is granted by UPPCB which is valid upto- 31.12.2019.

copy 2

DE

24/10/19

Information pertaining to ETP sludge		
18.	Quantity of ETP sludge generated	Approx. 20-30 kg/day is generated. Proper records are not maintained.
19.	Nature of waste	Organic.
20.	Facility for storage / disposal / treatment	The Unit informed that ETP sludge is sold as manure.

Observations & findings:

General:

- i. During inspection, the Unit was found in operation. Slaughtering of around 132 buffaloes were in process as against the consented slaughtering of 300 animals/ day and meeting fresh water requirement through Tanker Water Supply, Nagar Panchayat, Jhinhana.
- ii. The Unit has valid registration with APEDA [Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority], provided one treated effluent storage tank before discharge of effluent, installed sludge decanter (centrifuge) and tiny sludge drying beds (2 nos.) for drying the sludge generated from primary and secondary treatment, OCEMS for all parameters i.e. pH, TSS, BOD, COD & flow and (it was found operational during the visit), septic tank followed by soak-pit for treating domestic effluent, adequate space (room) for storage & preservation of hides and adequate space to carry out licensed activities. The unit has two Lairages as details given below:
 - a. Lairage - 1: Area 565 m² approximate (Annexure-6)
 - b. Lairage - 2: Area 650 m² approximate (a newly constructed covered area which is being used as Lairage) (Annexure-6)
 - c. Total area of Lairages: 1215 m² (approximate)
- iii. The Unit has provided underground piping network for transmission / discharge of treated effluents onto own land (approx. 20 acres) for ferti-irrigation. This land is located at a distance of around 2.5 km from the Unit. A portion of this land is used for composting of animal dung.

Water Pollution:

- i. During inspection, all ETP units were found in operation. Grab samples (6 nos.) were collected from inlet, E.Q. Tank, DAF outlet, SBR and outlet of ETP and quality of treated water being used for irrigation. The analysis results are presented below:

Sampling Locations	Parameters					
	pH	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	O&G (mg/l)	MLSS (mg/l)
ETP inlet	6.89	948	1450	2767	-	-
Equalization tank	6.72	911	1723	3108	-	-
DAF outlet	5.80	309	954	1678	-	-
SBR	-	-	-	-	-	4053
ETP Final outlet	7.52	96	55	214	BDL <05)	-
Notified Standard	6.5-8.5	50	30	250	10	-
Consented Standard	6.0-9.0	100	30	250	-	-

Wspuz

9y

24/10/19

The quality of treated waste water being used for irrigation is observed as exceeding the Consented Standards as well as notified standards in respect of BOD. Also Suspended Solid (SS) is not complying with the notified standards.

Air Pollution :

- i. During inspection, one boiler of 6TPH was found in operation and emissions are channelized through stacks of height approx. 30mts. Portholes and sampling platforms are provided. However, details of 2 nos. of DG sets need to be incorporated in the consent issued by the UPPCB.

Conclusion :

The unit is required to ensure as follow:

- a. The discharge of effluent to meet the prescribed notified standards.
- b. To engage an expert government agency of this field say CLRI , Chennai for Environmental Audit of the Plant including ETP performance evaluation. The report be submitted to CPCB and UPPCB within a period of 3 months.
- c. To submit the irrigation plan, which is duly approved or authenticated by the Agriculture University or the Irrigation Department of State Government.
- d. To carry out the calibration of the OCEMS, on regular basis and inform to CPCB & UPPCB.
- e. To install flow meter at the inlet of pipe line, through which the effluent is being passed for irrigation area and maintain logbook.

Vipul Kumar
 (Vipul Kumar)
 JE, UPPCB,
 Muzaffarnagar

D.C. Pandey
 (D.C. Pandey)
 ASO, UPPCB,
 Muzaffarnagar

Y.N. Mishra
 (Y.N. Mishra)
 Scientist 'C'
 CPCB, Delhi
 24/10/19



Speed Post

CPCB/IPC-IV/Tannery/2019-20/

October 24, 2019

To

8031

The Member Secretary,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Building No. TC-12V, VibhutiKhand,
Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010 (UP)

Sub: Joint inspection of M/s Meem Agro Food Pvt. Ltd., Kandhla Road, Kairana, Distt. Shamli, U.P. in compliance of order passed by Hon'ble NGT on 03.05.2019 in O.A. No. 324/2015.-regarding amendment of prescribed limits in respect of SS.

Sir,

This has reference to above cited subject wherein the Hon'ble NGT has passed an order on 03.05.2019 to carry out inspection of M/s Meem Agro Food, Pvt. Ltd. jointly by CPCB & UPPCB. Accordingly, a joint inspection was carried out by the officials of CPCB and UPPCB on 22.08.2019 and the inspection report is presently, under submission to the Hon'ble NGT.

During inspection, it was observed that UPPCB has prescribed the standard in respect of Suspended Solids (SS) as 100 mg/l as compared to the standards of 50 mg/l as notified by MoEF&CC.

In view of above, I am directed to request UPPCB to amend the prescribed consented standard in respect of SS, in line with MoEF&CC notified standards, in the CTO issued to M/s Meem Agro Food Pvt. Ltd.

(Ajay Aggarwal)
AD & Div. Head, IPC-IV

o/c.

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दि. 24/10/19
24/10/19



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0 सी0 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 931 / सी-3/जल सहमति आदेश 589 / 2017 लखनऊ, दिनांक- 27/11/17

विषय:- मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0 लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला-शामली को जल (प्रदूषण निवारण नियंत्रण) 1974 (यथा संशोधित) के धारा 25/26 के अंतर्गत उत्प्रावाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ आवेदन पत्र दिनांक- शून्य

दिनांक 30.08.2017

1. जल राशि या (ड्रेन) में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0 लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला-शामली को उसके परिसर से निकलने वाले उसके औद्योगिक बहिःश्राव को ई0 टी0 पी0 के माध्यम से सिंचाई/ड्रेन द्वारा सरिता/नदी में निस्तारित करने के लिए तथा घरेलू उत्प्रावाह को सेप्टिक टैंक/सोकापिट के माध्यम से निस्तारित करने हेतु अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक-31.12.2019 तक की अवधि हेतु विधिमान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित की धारा-27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।
सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(पारस नाथ)

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (वृत्त-3)

अनुलग्नक : संलग्नक ।
(सहमति शर्त)

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी०सी०-12, वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010

संदर्भ संख्या 1714030/सी-3/जल-589/मु०नगर/2017
सेवा में,

दिनांक 27/12/17

मै० मीम एगो फूड्स प्रा० लि०,
कांधला रोड, कैराना,
जिला-शामली।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने सहमति आवेदन पत्र दिनांक-शून्य, बोर्ड में प्राप्ति दिनांक 30.08.2017 का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र परीक्षण किया गया सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 931/589/11 दिनांक 27/12/17 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है :-

1. सहमति शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. कृपया ठोस अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी श्रोत का जल प्रदूषित न हो।
3. प्रदेश में पशुवधशालाओं के संचालन के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन के नगर विकास अनुभाग-8 के पत्र संख्या-2303/9-8-2012-15(रिट)/2012 दिनांक 22.08.2012 तथा मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्रांक-1645/9-8-2014-2 सी.एस./12 दिनांक 30.06.2014 एवं पत्र संख्या-760/नौ-8-2017-29ज/2017 दिनांक-22.03.2017 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन बाध्यकारी होगा।
4. यह सहमति प्रतिदिन मात्र अधिकतम 600 बड़े पशुओं के वध एवं 72 मी०टन/दिन फ्रोजन मीट, मीट बोन मील-8 मी०टन/दिन, टैलो-30 मी०टन/दिन के उत्पादन हेतु मान्य है।
5. उद्योग द्वारा स्लाटर्ड मीट की प्रोसेसिंग स्वयं के इन्टीग्रेटेड फ्रोजन मीट इकाई में की जायेगी एवं बिना बोर्ड की पूर्वानुमति के किसी भी अन्य फ्रोजन मीट इकाई में उक्त की प्रोसेसिंग नहीं कराई जायेगी।
6. इकाई से जनित ब्लड को ई०टी०पी० में कदापि न निस्तारित किया जाये। जनित ब्लड को ब्लड कोगुलेटर के माध्यम से शुद्धिकृत किया जाय।
7. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।
8. उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
9. शुद्धिकरण उत्प्रवाह हेतु आन लाईन मानिटोरिंग व्यवस्था का संचालन सुनिश्चित किया जाये।
10. शुद्धिकृत उत्प्रवाह को पूर्णतया स्वयं की भूमि पर सिंचाई में प्रयोग किया जायेगा।
11. उद्योग द्वारा भूजल दोहन हेतु सी०जी०डब्लू०ए० से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर 03 माह में बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
12. उद्योग द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय में पशुवधशालाओं के संचालन से सम्बन्धित दायर रिट याचिका सं०-(सिविल)/309/2003 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
13. उद्योग द्वारा वर्षा ऋतु में सिंचाई सम्भव न होने के कारण स्लाटरिंगक का कार्य बन्द रखा जाये।
14. उद्योग परिसर की हाउस कीपिंग तथा स्वच्छता इस प्रकार सुनिश्चित की जाये कि परिसर एवं उसके आस-पास दुर्गन्ध एवं प्रदूषण की समस्या विद्यमान न हो।

.....2/-

में0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0 लि0,
कांधला रोड, कैराना, जिला-शामली।

-2-

15. उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955, पशुकूरता निवारण अधिनियम, 1960, पशुओं का परिवहन नियम 1978, वधशाला नियम 2001, पशुओं का पैदल परिवहन नियम, 2001, पशुओं के प्रति कूरता के निवारण हेतु सोसाइटियों का गठन नियम 2001, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 में ओवरलोडिंग व पशुकूरता अधिनियम की धारा-38 के अन्तर्गत पारित समस्त आदेशों व अन्य निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जाय एवं गोवंश का वध नहीं किया जाये।
16. उद्योग द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण हेतु स्थापित ड्राई रेण्डरिंग प्लांट का नियमित संचालन किया जाये। किसी भी दशा में वेट रेण्डरिंग न की जाये। बायोफिल्टर एवं परिसर में राइस हस्क पर सुगन्धित तेल का छिड़काव रिप्रिन्कलर के माध्यम से किया जाये।
17. उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का नियमित रूप से संचालन सुनिश्चित कर उत्प्रवाह सदैव मानकों के अनुरूप निस्तारित किया जाये।
18. उद्योग द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा तैयार की गयी Revised Comprehensive Industry Document on Slaughter House No. IPC-IV/Project-SH/2017-18, अक्टूबर 2017 को संज्ञान में लेकर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जल खपत एवं जनित उत्प्रवाह की मात्रा में चरणवार कमी का प्रस्ताव 03 माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाये।
19. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 का0 अ0 3187 (अ) दिनांक 07.10.2016 के प्रावधानों का अक्षरशः समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
20. उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
21. यदि इकाई के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया जाता है तो उक्त उद्योग के संचालन हेतु निर्गत सहमति, बन्दी आदेश की अवधि में स्वतः निलम्बित रहेगी तथा उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किये जाने पर उद्योग के बन्दी निक्षेपण किये जाने के साथ ही बन्दी निक्षेपण की अतिरिक्त शर्तों के साथ उद्योग की संचालन सहमति स्वमेव प्रभावी हो जायेगी।

इस आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती हैं।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

(पारस नाथ)

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (वृत्त-3)
तद दिनांक.....

पृ0 सं0...../

प्रतिलिपि: 1. जिलाधिकारी, शामली।

2. डिप्टी जनरल मैनेजर, एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट आथरिटी, कामर्स एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एन.सी.वी.आई. बिल्डिंग-3, सीरी इस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त कान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (वृत्त-3)

में 0 मीम एगो फूड्स प्रा 0 लि 0,
कांधला रोड, कैराना, जिला-शामली।

- 2 -

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

सहमति आदेश संख्या-...../सहमति(जल)/आदेश/.....दिनांक..... का संलग्नक

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रावाह और प्रति घण्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रावाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्प्रावाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण	निस्तारण बिन्दु
----------------------	--------------------------	-----------------

 - (i) घरेलू- 2 कि०ली०/दिन (सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से शुद्धिकृत किया जाये।)
 - (ii) औद्योगिक- 300 कि०ली०/दिन (शुद्धिकृत उत्प्रावाह को स्वयं की भूमि सिंचाई तथा गार्डनिंग में प्रयोग किया जाये। किसी सर्फेश वाटर बाडी नदी नाले/ तालाब में उत्प्रावाह निस्तारण अनुमन्य नहीं है।)
2. ब्लीड जल सहित प्रकिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रावाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर टर्मिनल मेनहोल/अन्तिम निस्तारण बिन्दु, उत्प्रावाह मापन तथा उत्प्रावाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रावाह अन्तिम निस्तारण बिन्दु/मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रावाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रावाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रावाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
3. औद्योगिक उत्प्रावाह शुद्धिकरण के उपरान्त निम्न मानकों के अनुरूप हो।

27 से 0 पर 3 दिन की बी०ओ०डी०	30 मि०ग्रा/ली०
कुल निलम्बित ठोस	100 मि०ग्रा०/ली०
पी०एच० से अधिक न हो	6.0 से 9.0
सी०ओ०डी०	250 मि०ग्रा०/ली०
4. सभी प्रकियाओं से जनित उत्प्रावाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रावाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रावाह सहित औद्योगिक उत्प्रावाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रावाह बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रकिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।
6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रावाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों/पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।

8. शर्त संख्या-2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके ताले लगाने की व्यवस्थायुक्त कम से कम 15x15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेण्ट चैम्बर होने चाहियें। टर्मिनल मेनहोल के उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिये नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिये।
9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या-2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की व्यवस्था होनी चाहिये।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त सं0-9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अंतिम निस्तारण बिन्दु नाले/काली नदी पूर्वी तक पक्के ढके हुये बंद पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारिया किया जाये। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिये जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसे हानि न पहुंचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भांति बनाया जाये। बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाया जाये।
11. इन शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह नमूना, एकत्र करने की व्यवस्था टर्मिनल मेनहोल या टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के संबंध में दिनांक दो माह या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।
13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाले पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8.9. व 10 में वर्णित अंतिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात, तूफान के जल को भली भांति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थों (हैजार्डस अपशिष्ट को छोड़ कर भली भांति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
 - (i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
 - (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
 - (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
16. विशेष पदार्थों का विषेलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा जाये। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने का कार्य बोर्ड में अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाये।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा-3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो उत्प्रवाह का जनित होना तत्काल बन्द किया जाये तथा सुधार होने पर ही पुनः जनित कर ई0 टी0 पी0 के माध्यम से ट्रीट कर निस्तारित किया जाये।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।

मैं 0 मीम एग्री फूड्स प्रा० लि०,
कांधला रोड, कैराना, जिला-शामली।

-4-

19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रकिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिय गये निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन करे।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, तब तक लागू रहेगी।
24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम चार माह पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
27. फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियों या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर(प्रोपराइटरों) के नाम, पदों व टेलीफोन की सूचना दी जाये।
29. सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(पारस नाथ)

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (वृत्त-3)

Raj
24/8

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सन्दर्भ संख्या H 25/57

/सी-3/जल-589/मु0नगर/2018

दिनांक 24/8/18

सेवा में,

मै0 मीम एगो फूड्स प्रा0 लि0,
कांधला रोड, कैराना,
जिला-शामली।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्राह निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 324/2015 एवं ओ0ए0 संख्या 85/2016 जुबेर व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा इरफान अलीम बनाम मीम एगो फूड्स प्रा0 लि0 व अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक-15.06.2018 ".....In these circumstances, we direct the Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board, as per our earlier order, to inspect the site again and submit a report to the Tribunal before the next date of hearing....." में उद्योग मै0 मीम एगो फूड्स प्रा0 लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला-शामली के संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में दिनांक-28.06.2018 को सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री एन.के. गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा श्री पारस नाथ, पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा उद्योग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या में निम्नवत् संस्तुतियां की गयी हैं :-

1. Although, the unit has installed necessary infrastructure for slaughtering and production of bone less meat, tallow, bone-meat meal and blood meal but it has very limited space to carry-out the consented activities i.e. slaughter of 600 big animals/day. All the sections of the Unit including ETP appear as compromised. The consented/licensed production capacity may be curtailed to the tune of 300 animals/day. Further, in future, permission for expansion should not be granted in any case.
2. Existing ingesta drying machine may be replaced with advanced one with arrangement for drying with steam.
3. A dedicated space for proper storage/preservation of hides may be provided.
4. DAF unit of ETP may be made operational.
5. The Unit shall engage some government agency preferably CLRI (Central Leather Research Institute) Chennai/IIT Delhi/ IIT Roorkee for detailed study on judging the adequacy capacity of ETP, performance evaluation and mode of disposal. CLRI Chennai is preferable on account of their expertise in the field.
6. Detailed investigation on the quality of ground water of the area are needed to assess the sources of pollution & its remediation.
7. Local Administration shall develop a suitable system for disposal of MSW in a scientific manner. Present practice of simply dumping the MSW on the vacant land be stopped immediately.
8. Suitable mechanism/ necessary arrangements may be made by Local Administration for supply of safe drinking water to the nearby residents.

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010

18/01/18
सी0-12, वी. विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र


संदर्भ संख्या 934 /सहमति (वायु) आदेश/ 60417 लखनऊ, दिनांक- 27/12/17

विषय : मैसर्स मीम एग्रो फूड्स प्रा0 लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला-शामली को वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21/22 के अन्तर्गत ।

संदर्भ : आवेदन पत्र दिनांक शून्य

प्राप्ति दिनांक: 30.08.2017


1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मैसर्स मीम एग्रो फूड्स प्रा0 लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला-शामली को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति 31.12.2019 की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत ।
सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।


(पारस नाथ)

पर्यावरण अभियंता, प्रभारी (वृत्त-3)

अनुलग्नक : संलग्नक ।

(सहमति शर्तें।)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संदर्भ संख्या 114031 / सी-3/सहमति वायु-604/मु0नगर/2017

दिनांक: 27.12.17

सेवा में,

मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0 लि0,
कांधला रोड, कैराना,
जिला-शामली।

विषय: वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने सहमति आवेदन पत्र दिनांक शून्य बोर्ड में प्राप्ति दिनांक 30.08.2017 का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सहमति आदेश संख्या...9.2.4..... सहमति (वायु) आदेश/.....6.0.4.1.1..... दिनांक-27/12/17.....को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जाता है:-

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
3. उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करे, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
5. प्रदेश में पशुवधशालाओं के संचालन के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के नगर विकास अनुभाग-8 के पत्र संख्या-2303/9-8-2012-15(रिट)/2012 दिनांक 22.08.2012 तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक-1645/9-8-2014-2 सी.एस./12 दिनांक 30.06.2014 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन बाध्यकारी होगा।
6. यह सहमति प्रतिदिन मात्र अधिकतम 600 बड़े पशुओं के वध एवं 72 मी0टन/दिन फ्रोजन मीट, मीट बोन मील-8 मी0टन/दिन, टैलो-30 मी0टन/दिन के उत्पादन हेतु मान्य है।
7. उद्योग द्वारा स्लाटर्ड मीट की प्रोसेसिंग स्वयं के इन्टीग्रेटेड फ्रोजन मीट इकाई में की जायेगी एवं बिना बोर्ड की पूर्वानुमति के किसी भी अन्य फ्रोजन मीट इकाई में उक्त की प्रोसेसिंग नहीं कराई जायेगी।

.....2/-

8. उद्योग में स्थापित ड्राई रेण्डरिंग प्लाण्ट का नियमित संचालन किया जाये। वेट रेण्डरिंग का प्रयोग कदापि न किया जाये।
9. उद्योग परिसर में नियमित साफ-सफाई की जाये तथा दुर्गन्ध नियंत्रण हेतु ब्लीचिंग पाउडर चूने आदि का नियमित छिड़काव किया जाये।
10. समय-समय पर मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
11. बोर्ड से पूर्व सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना उत्पादन क्षमता, वायु प्रदूषणकारी स्रोतों ईंधन खपत, वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, चिमनी आदि में कोई परिवर्तन न किया जाये।
12. उद्योग द्वारा समस्त प्रचलित पर्यावरणीय विधियों एवं अन्तर्गत प्रतिपादित नियमों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
13. उद्योग में स्थापित 6 टीपीएच क्षमता के ब्यायलर की स्टैक मानिट्रिंग रिपोर्ट त्रैमासिक रूप से बोर्ड को प्रेषित की जाये।
14. उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
15. यदि इकाई के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया जाता है तो उक्त उद्योग के संचालन हेतु निर्गत सहमति, बन्दी आदेश की अवधि में स्वतः निलम्बित रहेगी तथा उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किये जाने पर उद्योग के बन्दी निक्षेपण किये जाने के साथ ही बन्दी निक्षेपण की अतिरिक्त शर्तों के साथ उद्योग की संचालन सहमति स्वमेव प्रभावी हो जायेगी।
16. पेट कोक एवं फर्नेश ऑयल का ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने के प्रसंग में रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-13029/1985 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इस सहमति आदेश के अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

(पारस/नाथ)

पर्यावरण अभियंता, प्रभारी (वृत्त-3)

तद दिनांक-

संदर्भ संख्या-

/वायु प्रदूषण/

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, शामली।
2. डिप्टी जनरल मैनेजर, एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट आथरिटी, कामर्स एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एन.सी.वी.आई. बिल्डिंग-3, सीरी इस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त कान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पर्यावरण अभियंता, प्रभारी (वृत्त-3)

-2-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या-...../सहमति(वायु)/आदेश/.....दिनांक.....


सहमति शर्तें

1. प्लू गैस की प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।
 - (i) 6 टी0पी0एच0 वाष्प जनन क्षमता के ब्वायलर पर मल्टी साइकलोन, स्क्रबर की स्थापना सहित सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई भूतल से 30 मीटर।
2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।
 - (i) सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर 800 मिलीग्राम प्रतिनार्मल
(एस0पी0एम0) क्यूबिक मीटर
3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवम् अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवम् अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।

-3-

6. बिन्दु-4ए 5 एवम् 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनोंक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रह उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवम् इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबंध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाये।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 के अधिक होता है या होने की संभावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने से संबंध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की रिथति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदन कर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कडाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता /इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा-21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैद्य रहेगी।
17. आवेदन कर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवम् प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवम् प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।
सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।


(पारस नाथ)

पर्यावरण अभियंता, प्रभारी (वृत्त-3)

**MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)**

Daily Summary of post mortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Carcasses Examined 132
2. Total no. of Carcasses Passed 132
3. Total no. of Carcasses Rejected 0

Note:- Rejected/ Condemned carcasses send to the Rendering plant.

The Postmortem examination is done in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Govt. Veterinary officer. Postmortem examination of the carcasses is randomly done by Govt. veterinary officer.

Date ... 22/08/19

Signature & Stamps
of Veterinary Doctors

[Signature]
Dr. S. K. Upadhyay
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
No. U.P.V.C. 5610

Signature & Stamp
of Govt. Veterinary Officer

[Signature]
Govt. Veterinary Officer
Kandela - Shamli
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C. 5610

[Signature]
Dr. P. Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
No. U.P.V.C. 5610


39

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD. KAIRANA

MBM , TALLOW & BLOOD MEAL SUMMARY				
Date	No. Of Animal	Mbm	Tallow	Blood Meal
01-08-19	236	2360 Kg	1180 Kg	56 Kg
02-08-19	Friday			
03-08-19	233	5715 Kg	3214 Kg	55 Kg
04-08-19	232	5658 Kg	3182 Kg	55 Kg
05-08-19	205	5426 Kg	3052 Kg	49 Kg
06-08-19	205	5641 Kg	3173 Kg	49 Kg
07-08-19	209	5017 Kg	2822 Kg	50 Kg
08-08-19	52	4211 Kg	2368 Kg	12 Kg
09-08-19	Friday			
10-08-19	202	2741 Kg	1542 Kg	48 Kg
11-08-19	201	9022 Kg	5075 Kg	48 Kg
Close 12-08-2019 to 17-08-2019				
18-08-19	139			33 Kg
19-08-19	134	4808 Kg	2704 Kg	32 Kg
20-08-19	159	3673 Kg	2066 Kg	38 Kg
21-08-19	205	4489 Kg	2525 Kg	49 Kg
22-08-19	132	4729 Kg	2660 Kg	31 Kg
Grand Total	2544	63490 Kg	35563 Kg	605 Kg

For Meem Agro Foods Pvt. Ltd

Auth. Signatory



RECEIPT NO.

FORM NO. 5

BOOK NO. B

Annex - 3

934903

RECEIPT

Municipality

शहर वृत्तिका विभाग

Demand Register no.

Received from

Rupees (in words)

on account of

premises no.

For the period

in full/part payment of demand bill no.

Rs. 11250/-

Dated 11/8/19

Cashier

Accountant

P.S.U.P.-01 Nagar Palika-04-04-2018-10,000 Books (D.T.P./Offset).

शहर वृत्तिका विभाग
शहर वृत्तिका विभाग
शहर वृत्तिका विभाग

1901-8-19 = 15 दिनांक
2-8-19 = 15 दिनांक
शहर वृत्तिका विभाग

शहर वृत्तिका विभाग
45 X 250 = 11250


शहर वृत्तिका विभाग
1-8-19 रत 4-8-19 तक
दाल

Executive Officer/Secretary

Tax Collector,

Clerk-in-charge of Demand
and Collection Register.

Tax Superintendent.



RECEIPT NO.

931906

FORM NO. 5
RECEIPT

BOOK NO. B

Municipality

Demand Register no.

Received from

pieces (in words)

in account of

remises no.

for the period

in full/part payment of demand bill no.

Rs. 7500/-

Dated 26-08-19

Cashier

Accountant

Executive Officer/Secretary

Tax Collector,

Clerk-in-charge of Demand
and Collection Register

Tax Superintendent

RECEIPT NO.

FORM NO. 5

BOOK NO. B

934912

RECEIPT

Municipality

Demand Register no.

received from

Rupees (in words)

on account of

premises no.

For the period

in full/part payment of demand bill no.

dated

Executive Officer/Secretary

Dated 29-08-14

Cashier

Accountant

Tax Collector

Clerk-in-charge of Demand and Collection Register

P.S.U.P.-01 Nagar Palika-04-04-2018-10,000 Books (D.T.P. Offset)

RECEIPT NO.

FORM NO. 5
RECEIPT

BOOK NO. B

Municipality 934916

Demand Register no. _____

Received from _____

Rupees (in words) _____

on account of _____

premises no. _____

Mohalla _____

गाँव कोठारा गाँव कोठारा

For the period _____

in full/part payment of demand bill no. _____

Rs. 5000/-

Dated 17.08.19

Cashier _____

Accountant _____

Executive Officer/Secretary _____

Tax Collector,

Clerk-in-charge of Demand
and Collection Register.

Tax Superintendent.

RECEIPT NO.

931919

FORM NO. 5

RECEIPT

BOOK NO. B

Municipality

Demand Register no.

received from

pieces (in words)

account of

emises no.

2018-20-08-19

for the period

full/part payment of demand bill no.

Rs. 8750/-

Dated 20-08-19

Mohalla

Pro. S. 1011

25000/-

25000/-

25000/-

dated 25-08-19

Executive Officer/Secretary

Tax Collector

Clerk-in-charge of Demand and Collection Register

Tax Superintendent

S.U.P.-01 Nagar Palika-04-04-2018-10,000 Books (D.T.P./OffSec).

Government of India
Central Ground Water Authority (CGWA)
Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
Applications for Issue of NOC to Abstract Ground Water (NOCAP)

**Application for Permission to Abstract Ground Water for Industrial Use
(Application For New NOC)**

Application Number : 21-4/7507/UP/IND/2019

1. General Information:

Water Quality:

Fresh Water

Application Type Category/ Type of Application:

Agro products

(i) Name of Industry:

MEEM AGRO FOODS PVT.LTD

(ii) Location Details of the Industrial Unit- (Attach Approved Site Plan with Location Map) (\$)

Address Line 1 :

993-1005, KANDHLA ROAD

Address Line 2 :

SHAMLI

Address Line 3 :

State:

UTTAR PRADESH

District:

SHAMLI

Sub-District:

KAIRANA

Village/Town:

Kairana (NPP)

Latitude:

29.388659

Logitude:

77.207214

Area Type :

Non-Notified

Area Type Category :

Over Exploited

(iii) Communication Address

Address Line 1:

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD, 993-1005, KANHLA ROAD,

Address Line 2:

KAIRANA , SHAMLI

Address Line 3:

State:

UTTAR PRADESH

District:

SHAMLI

Sub-District:

KAIRANA

Pincode:

247775

Phone Number with Area Code:

Mobile Number:

91 7983206779

Fax Number:

E-Mail:

meem_tanveer@yahoo.in

(iv) Salient Features of the Industrial Activity:

ABATTOIR HOUSE

(v) Land Use Details of the Existing / Proposed Industrial Unit Premises Ownership of the Land :

Land Use Details	Existing (sq meter)	Proposed (sq meter)	Grand Total (sq meter)
Green Belt Area	1805.12		1805.12
Open Land	1431.26		1431.26
Road/ Paved Area	2015.25		2015.25

06/05/2019 09:48 AM

Page 1 of 6

Government of India
Central Ground Water Authority (CGWA)
Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
Applications for Issue of NOC to Abstract Ground Water (NOCAP)

**Application for Permission to Abstract Ground Water for Industrial Use
(Application For New NOC)**

Application Number : 21-4/7507/UP/IND/2019

	Rooftop area of building/ sheds	3736.19	3736.19
	Total	8987.82	8987.82
(vi)	Drainage in the Area (River/ Nala etc) :	DISCHARGE ON TO AGRICULTURE LAND OWNED BY OWNER FOR PLANTATION AS PER GUIDELINES OF UPPCB	
(vii)	Source of Availability of Surface Water for Infrastructure Use (Submit Water Availability / Non Availability Certificate):(\$)	NO	
(viii)	Average Annual Rainfall in the Area (in mm):	614.00	
(ix)	Townships / Villages (Within 2km Radius of the Industrial Unit):	JAHANPUR, KAIRANA TOWN	
(x)	Whether Ground Water Utilization for:	Existing Industry	
	Date of Commencement Industry:	06/08/2005	
	Date of Expansion :		

2. Details of Water Requirement (Fresh and Recycled Water Usage):
(Please Enclose Water Balance Flow Chart of Activities and Requirement of Water at each Stage) (\$)

(i) Total Water Requirement (a+b+c+d) (m3/day)

	Existing	Proposed	Total
Water Requirement Details (Fresh Water) (m3/day)			
(a) Ground Water Requirement (m3/day):	332.00	0.00	332.00
(b) Surface Water Available (Canal, River, Ponds etc.) (m3/day):	0.00	0.00	0.00
(c) Water Supply from Any Agency (m3/day):	0.00	0.00	0.00
Total Fresh Water Requirement (a+b+c)(m3/day):	332.00	0.00	332.00
(d) Recycled Water Usage (m3/day):	300.00	0.00	300.00
Total Water Requirement : (a+b+c+d)(m3/day)	632.00	0.00	632.00

(ii) Breakup of Water Requirement and Usage:

Activity	Existing Requirement (m3/day)	Proposed Requirement (m3/day)	Total Requirement (m3/day)	No. of Operational Days In a Year	Annual Requirement (m3/year)
Industrial Activity	330.00	0.00	330.00	300	99000.00
Residential / Domestic	2.00	0.00	2.00	300	600.00
Greenbelt Development /Environment Maintenance	300.00	0.00	300.00	300	90000.00
Other Use	0.00	0.00	0.00	300	0.00
Grand Total	632.00	0.00	632.00		189600.00

06/05/2019 09:48 AM

Page 2 of 6

29

Government of India
Central Ground Water Authority (CGWA)
Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
Applications for Issue of NOC to Abstract Ground Water (NOCAP)

**Application for Permission to Abstract Ground Water for Industrial Use
(Application For New NOC)**

Application Number : 21-4/7507/UP/IND/2019

(iii) Breakup of Recycled Water Usage:

	(m3/day)	(Days)	(m3/year)
(a) Total Waste Water Generated :	300.00	300	90000.00
(b) Quantity of Treated Water Available	300.00		
i). Reuse In Industrial Activity:	0.00	300	0.00
ii). Reuse in Green Belt Development:	300.00	300	90000.00
iii). Other Uses:	0.00	300	0.00
(c) Total Treated Water Utilized:	300.00		
Net Ground Water Requirement:	332.00 (m3/day)		

3. (a). Groundwater Abstraction Structure- Existing:

Number of Existing Structures: 2

SNo.	Type of Structure Name / Year of Construction	Depth (Meter) / Diameter (mm)	Depth to Water Level (Meters below Ground Level)	Discharge (m3/Hour)	Operational Hours (Day) / Days (Year)	Mode of Lift Name	Horse Power of Pump	Whether Fitted with Water Meter	Whether Permission Registered with CGWA / If so Details Thereof
1	Borewell / 2013	45.00 / 75	35.00	25.00	14 / 300	Submersible Pump	6.00	Yes	No / -
2	Borewell / 2013	45.00 / 50	35.00	10.00	6 / 300	Submersible Pump	5.00	Yes	No / -

(b). Groundwater Abstraction Structure- Proposed:

Number of Proposed Structures: 0

SNo.	Type of Structure Name / Year of Construction	Depth (Meter) / Diameter (mm)	Depth to Water Level (Meters below Ground Level)	Discharge (m3/Hour)	Operational Hours (Day) / Days (Year)	Mode of Lift Name	Horse Power of Pump	Whether fitted with Water Meter	Whether Permission Registered with CGWA / If so Details Thereof

4. Groundwater Availability (Please Enclose a Comprehensive Report / Note on Groundwater Condition in and Around the Area) Applicable to Industries Consuming Greater Than 500 m3/day : (\$)

ENCLOSED

5. Details of Rainwater Harvesting and Artificial Recharge Measures Proposed / Implemented. If Ground Water Recharge outside the Industrial Unit Premises, then provide NOC from the Concern Authority / Agency if Already implemented, details may be furnished. (Attach Rainwater Harvesting /Artificial Recharge Proposal).(\$)

ENCLOSED

28

Government of India
Central Ground Water Authority (CGWA)
Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
Applications for Issue of NOC to Abstract Ground Water (NOCAP)

**Application for Permission to Abstract Ground Water for Industrial Use
(Application For New NOC)**

Application Number : 21-4/7507/UP/IND/2019

6. Consent to Operate / Establish / Approval Letter from Statutory Bodies viz Ministry of Environment & Forests (MoEF) or State Pollution Control Board (SPCB) or State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) or State Level Environment Impact Assessment Authority (SLEIAA): (\$)

Attached Consent/ Approval of Government Agency (Previous: Referral Letter)

Letter Number

931/C-3/WATER CONSENT/589/2017

S.No	Consent/Approval of Government Agency	Attachment Name	File Name
1	State Pollution Control Board	WATER CONSENT	Water Consent.pdf

7. Have You Applied Earlier for Groundwater Clearance from CGWA / State Government Agency:

If Yes, so Details thereof with Status:

REJECTED

INDUSTRIAL USE- Self Declaration

It is to certify that no case related to ground water withdrawal/ contamination is pending against the industry/ project/ unit as on date. Any such case filed against the company/ project/ unit in respect of ground water withdrawal/ contamination during the pendency of this application shall be immediately brought to the notice of CGWA. It is to Certify that the Data and Information Furnished Above are True to the Best of My Knowledge and Belief and I am Aware that if Any Part of the Data / Information Submitted is Found to be False or Misleading at Any Stage the Application will be Rejected Out Rightly.

1. Application Proforma is Subject to Modification from Time to Time.

2. Application should be submitted to Regional Office.

Regional Director, Central Ground Water Board Northern Region, Bhujal Bhavan, Sector-B, Sitapur Road Yojna, Ram Ram Bank Chauraha, LUCKNOW, UTTAR PRADESH, 226021

3. Incomplete Application will be Summarily Rejected.

Submitted Application will not be Processed till the Print Out of the Signed Complete Application is Submitted to Regional Office.

4. Applicant has to Submit Processing Fee of Rs. 1000.00/- (Rupees One Thousand Only) through NON TAX RECEIPT PORTAL (<https://bharatkosh.gov.in>). A receipt will be generated. Please fill in the Transaction Ref No. and Date from the receipt, in print out of application and attach receipt along with hard copy of application.

Bharatkosh Details:-

Transaction Ref Number:-

Dated:-

Note:- The Processing Fee is Non-Refundable. Applicant should ensure and Check Eligibility of Submission of Application and Required Documents before Submitting Online Application.

Attached Files:

1). Site Plan with Location Map (Previous: Site Plan) : (Refer: 1 (ii))

S.No	Attachment Name	File Name
1	SITE PLAN	SITE PLAN.pdf

2). Certified Revenue Sketch : (Refer: 1 (ii))

No Attachment Found!

3). Documents of Ownership / Lease : (Refer: 1 (v))

06/05/2019 09:48 AM

Page 4 of 6

Page 1 of 8

31

27

Government of India
Central Ground Water Authority (CGWA)
Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
Applications for Issue of NOC to Abstract Ground Water (NOCAP)

Application for Permission to Abstract Ground Water for Industrial Use
(Application For New NOC)

Application Number - 21-4/7507/UP/IND/2019

No Attachment Found!

4). Source Water Availability/Non-availability Certificate(Previous: Source of Availability of Surface Water) :
(Refer: 1 (vii))

S.No	Attachment Name	File Name
1	NON AVAILABILITY CERIFICATE	non supply of water.pdf

5). Water Balance Flow Chart (Previous: Enclose Flow Chart of Activity and Requirement of Water): (Refer: 2)

S.No	Attachment Name	File Name
1	WATER BALANCE	water flow diagram.pdf

6). Hydrogeological Report(Previous: Groundwater Availability Report) : (Refer: 4)

S.No	Attachment Name	File Name
1	HYDROLOGY	SACN 001_20190506_0001_compressed.pdf

7). Rain Water Harvesting/Artificial Recharge proposal(Previous: Details of Rainwater Harvesting / Artificial Recharge Measures) : (Refer: 5)

S.No	Attachment Name	File Name
1	RWH	MEEM RWH.pdf

8). Authorization Letter (Previous: Authorization) :

S.No	Attachment Name	File Name
1	AUTHORIZATION	authorization.pdf

10). Ground Water Quality Report(Previous: Non-Polluting Effluent) :

S.No	Attachment Name	File Name
1	water quality report	1 001.pdf

11). Extra Attachment :

No Attachment Found!

12). Scanned Industrial Application :

No Attachment Found!

32

26

Government of India
Central Ground Water Authority (CGWA)
Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
Applications for Issue of NOC to Abstract Ground Water (NOCAP)

Application for Permission to Abstract Ground Water for Industrial Use
(Application For New NOC)

Application Number : 21-4/7507/UP/IND/2019

Date :

Place :


Associated User : meemagrocgwa

Submitted By User : meemagrocgwa

Submission Date : 06/05/2019


Name & Signature of the applicant

For Meem Agro Foods Pvt. Ltd. (With official seal)



Auth. Signatory

* In case signed by any authorized signatory, the details of the signatory with the authorization shall be enclosed.

Annexure-5



Flow Schematic of Effluent Treatment Plant of Cap. 500KLD



LAYOUT PLAN

List Of Electromechanical Unit		
Mark	Description	Unit
ETP	Effluent Transfer Pump	2 No's
FFP	Filter Feed Pump	2 No's
SP	Screw Pump	1 No
CF	Centrifuge	1 No
AB	Air Blower	3 No's
MGF	Multigrade Filter	1 No
ACF	Activated Carbon Filter	1 No
PDS	Poly Dosing System	1 No
ADS	Alum Dosing System	1 No
DAF	Dissolved Air Floatation	1 No
DS	Disinfection System	1 No
STP	Sludge Transfer Pump	1 No

Title : As Built of Effluent Treatment Plant of Capacity 500kid
At Integrated Meal Plant, Karana

Brisanzia Technologies Pvt. Ltd.
Powering the Environment
(An ISO 9001:2008 Company)
52-C Hasan Pur, Opp. Patparganj Industrial Area, Near Ralliance Fresh Delhi-92
Email : info@brisanzia.com, brisanzia@gmail.com, Website : www.brisanzia.com
T. 011-22248103, 47330280, Fax : 011-22238104

Client :
Meem Agro
Karana

Drawn By: SS	Checked By: SY	Approved By: ZHR	Scale : NTS	Date : 20-06-18	R.Date :
			Drawing No. : BSZ/MEEM AGRO/ETP/AB/02	R.No. : 00	

135 x 45 sq ft. (approx.) = 565m²





Item No. 02-03

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No.324/2015
(M.A. No. 184/2016 & 467/2016)

With

Original Application No. 85/2016
(M.A. No. 436/2016, I.A. No. 240/2019 & 241/2019)

Jubair & Ors.

Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh &Ors.

Respondent(s)

And

Irfan Aleem

Applicant(s)

Versus

Meem Agro Foods Pvt. Ltd. & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 03.05.2019

CORAM:

HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORE, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. SATYAWAN SINGH GARBYAL, EXPERT MEMBER

For Applicant(s)

Mr. Mukul Singh, Advocate
(O.A. 324/15)

For Respondent(s)

Mr. S.P. Singh, Senior Advocate
with Mr. Raunak Parekh,
Advocate for R-5(O.A.324/2015)
& R-1 (O.A. 85/2016)

Mr. Shashank Saxena and Mr.
Amritesh Raj, Advocates on
behalf of Mr. Ardhendumauli
Kumar Prasad, Advocate for
CGWA

Mr. Suraj Singh, Advocate for Mr.
Pradeep Misra, Advocate for
UPPCB

Mr. Rohit Pratap Singh, Advocate
for Mr. Amit Tiwari, Advocate for

Mr. Dhruv Pal and Mr.
Himanshu Pal, Advocates for
MoEF& CC
Ms. Sashi Juneja, Advocate for
Nagar Palika Parishad

ORDER

Original Application Nos. 324/2015 and 85/2016

Both these original applications have been filed by different individuals but relate to the same unit i.e. Meem Agro Foods Pvt. Ltd. in District Shamli, State of UP.

The primary grievance raised by the applicants is in respect of the working of a slaughter house by the company. Accordingly, it has been prayed that keeping in view the right of the inhabitants of the area directions be issued to immediately seal the unit or shift the factory to other area. It has also been prayed that the respondent be directed to pay environmental compensation to the residents of Kairana.

In order to resolve the issue raised herein as there were conflicting stands taken by both the sides in respect of the actual position of the site, we had ordered for joint inspection on 15.06.2017 in original application no. 85/2016. The said joint inspection was ordered to be conducted by the officers from Uttar Pradesh Pollution Board and Central Pollution Control Board. In compliance thereof the industry was inspected on 28.06.2018. After

1. Although, the unit has installed necessary infrastructure for slaughtering and production of bone less meat, tallow, bone-meat meal and blood meal but it has very limited space to carry-out the consented activities i.e. slaughter of 600 big animals/day. All the sections of the Unit including ETP appear as compromised. The consented/licensed production capacity may be curtailed to the tune of 300 animals/per day. Further, in future, permission for expansion should not be granted in any case.
2. Existing ingesta drying machine may be replaced with advance one with arrangement for drying with steam.
3. Adedicated space for proper storage/preservation of hides may be provided.
4. DAF unit of ETP may bemade operational.
5. The Unit shall engage some government agency preferably CLRI (Central Leather Research Institute) Chennai/IIT Delhi/IIT Roorkee for detailed study on judging the adequacy capacity of ETP, performance evaluation andmode of disposal. CLRI Chennai is preferably on account of their expertise in the field.
6. Detailed investigation on the quality of ground water of the area are needed to assess the sources of pollution & its remediation.
7. Local Administration shall develop a suitable system for disposal of MSW in a scientific manner. Present practice of simply dumping the MSW on the vacant land be stopped immediately.
8. Suitable mechanism /necessary arrangements may be made by Local Administration for supply of safe drinking water to the nearby residents.”

Thereafter, the respondent unit was directed to file a reply affidavit to the joint inspection report and further steps taken to remove the deficiencies as recommended in the joint inspection report. An affidavit has been filed on 14.09.2018. Thereafter a compliance affidavit was filed in tabular form on 29.04.2019.

consideration to the pleadings and material on record placed by both the side and the joint inspection report of which respondent unit has filed affidavit, following directions are issued to the respondent unit:

1. That the total production and slaughtering capacity of the present unit shall not exceed 300 animals per day.
2. That the respondent unit shall not extract ground water till they obtain appropriate permission from the Central Ground Water Authority. As we have been informed that an application in this regard is already pending, if it is so, then CGWA shall decide the same within 15 days. In case the application filed earlier has been decided by the authority for any reason including not removing the deficiency then the respondent shall file a fresh application within one week, giving all the details and the requisites documents. Thereafter the CGWA shall decide their application within 15 days from receipt of the application by the respondent unit. The borewell of the respondent unit already sealed shall remain sealed till the application is decided by the CGWA.
3. The CGWA while considering the application for extraction of ground water, shall also assess the

unauthorized extraction of ground water by the unit till now.

4. We direct the Central Pollution Control Board to have further joint inspection conducted of the respondent unit after a period of one month after its operation.

The office is directed that as and when the joint inspection report is received from the CPCB the same shall be registered separately and list before the Court.

With the aforesaid observations/directions both these applications (324/2015 and 85/2016) stand disposed of, with no order as to cost.

M.A. Nos. 184/2016, 467/2016, 436/2016, I.A. Nos. 240/2019 & 241/2019

These applications do not survive for consideration as the main applications itself stand disposed of.

M.A. Nos. 184/2016, 467/2016, 436/2016, I.A. Nos. 240/2019 & 241/2019 are disposed of accordingly.

Raghuvendra S. Rathore, JM

Dr. Satyawan Singh Garbyal, EM

May 03, 2019
JG